

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(253)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक : 24-1-2014

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 701/2013-14)

विषय:- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के राज्यांश की राशि का जिला परिषदों के पी.डी.खातों में हस्तांतरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ4 () परावि/आ.प्र/बजट घो.-92/2012-13/104 दिनांक 22.1.2014 में अंकित शर्तों एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रु. 74,00,000/- (अक्षरे राशि रु. चोहत्तर लाख मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

-व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

(सारणी के अनुसार)

बजट मद

मांग सं. 41

2515	-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
198	-	ग्राम पंचायतों को सहायता	
(12)	-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	
[02]	-	कार्यकलाप संबंधी	
12	-	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	- राशि रूपये 74.00 लाख (अक्षरे राशि रु. चोहत्तर लाख मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

(८०)

(एम.एल.आचार्य)

शासन उप सचिव, वित्त
(बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित, राजस्थान।
5. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(एम.एल.आचार्य)

शासन उप सचिव, वित्त
(बजट)